

नै-31

14/31
29-2-16

1

नविलादिनांक: गृहीत

8557

60

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सम्परीक्षा आख्या

नगर पंचायत - सिसवा बाजार
महाराजगंजक्षेत्रीय अधिकारी
व्यवस्थापक

30 JUL 2016

संस्था का नाम :- नगर पंचायत, सिसवा बाजार- महाराजगंज।

अवधि :- 2013-14 व 2014-15

संपरीक्षा तिथि :- संपरीक्षा दिनांक 23.11.2015 को प्रारम्भ एवं दिनांक 31.12.2015 को समाप्त किया गया।

1- प्रशासन :- आलोच्य अवधि में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर श्री अशोक कुमार जायसवाल पुरी अवधि में तथा अधिशासी अधिकारी के पद पर निम्नांकित व्यक्ति उनके पार्ष्वांकित अवधियों में आसीन रहे:-

क्रम सं०	अवधि		नाम/पदनाम
	दिनांक से	दिनांक तक	
1	01-04-2013	21.04.2013	श्री राम बहादुर, अधिशासी अधिकारी
2	22-04-2013	14-10-2014	श्रीलालमणी चौधरी, स० अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, महाराजगंज
3	15-10-2014	28-11-2014	श्री जयचन्द पाण्डेय, परगना अधिकारी, महाराजगंज
4	04-03-2014	18-03-2014	श्री रण विजय सिंह, उप-जिलाधिकारी, सदर
5	29-11-2014	31-03-2015	श्री एजाज अहमद, अधिशासी अधिकारी

आहरण-वितरण का कार्य अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया था।

भाग- "क"

वर्तमान लेखा परीक्षा

(क) वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमितताओं पर टिप्पणी :-

(1) निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुर्विनियोजन :- दृष्टिगत नहीं।

(2) गबन :- दृष्टिगत नहीं।

(3) वित्तीय महत्व की अनियमित व्यय यथा आवर्ती प्रकृति के अनियमित, अधिक, अनानुमोदित अधिष्ठान एवं अन्य व्यय :- दृष्टिगत नहीं।

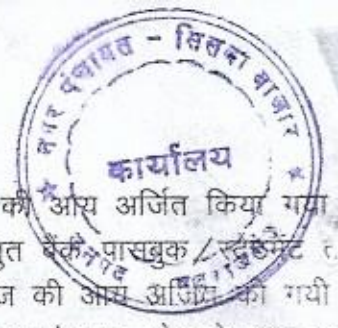
(4) राजस्व की हानि :-

(क) अनुदानों के बैंक जमा से प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं किये जाने से संबंधित

अनियमितता:- शासनादेश संख्या--ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 तथा शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई, 2015 के अनुसार सन्दर्भित शासनादेशों में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि शासन द्वारा उक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाय। सम्परीक्षा में पाया गया कि नगर

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



पंचायत को प्राप्त विभिन्न राजकीय अनुदानों को बैंक में जमा कर ब्याज की आय अर्जित किया गया परन्तु इस आय को राजकीय कोष में जमा नहीं किया जा रहा है। प्रस्तुत बैंक पासबुक/स्टेटमेंट को रोकड़वही के अनुसार संस्था द्वारा आलोच्य अवधि में निम्नानुसार बैंक ब्याज की आय अर्जित की गयी जिसमें अप्रस्तुत/अस्पष्ट बैंक ब्याज की धनराशि को सम्मिलित कर एवं नगर पंचायत कोष से प्राप्त ब्याज को अनुपातिक रूप से धटायें हुए समस्त धनराशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा किया जा अपेक्षित है :-

क्रमांक	बैंक खाता का नाम व संख्या	2013-14 से प्राप्त ब्याज		2014-15 में प्राप्त ब्याज	
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
1	भारतीय स्टेट बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०-11479786053	30.06.13 31.12.13	24,418.00 1,68,116.00	30.06.14 31.12.14	1,22,356.00 2,12,014.00
2	भारतीय स्टेट बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०-11141105456	—	अप्रस्तुत	—	अप्रस्तुत
3	भारतीय स्टेट बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०-31092128092	30.06.13 31.12.13	1,16,283.00 1,20,556.00	30.06.14 31.12.14	70,557.00 18,111.00
4	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार सं-1748000100045570	01.09.13 02.03.14	7,389.00 12,349.00	07.09.14 06.03.15	26,897.00 19,997.00
5	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०.2989000107022242	01.09.13 02.03.14	81,277.00 91,315.00	07.09.14 06.03.15	1,17,494.00 1,10,468.00
6	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार खा० सं.1748000100090376	01.09.13 02.03.14	32,479.00 31,968.00	07.09.14 06.03.15	33,143.00 33,260.00
7	यूनियन बैंक, महाराजगंज खाता संख्या- 218	03.08.13 04.02.14	149.00 155.00	01.08.14 01.02.15	156.00 161.00
8	पूर्वांचल बैंक, कोठीभार खाता सं०-1565	—	अप्रस्तुत	—	अप्रस्तुत
9	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार खा० सं-174800010019315	01.09.13 02.03.14	47,295.00 972.00	07.09.14 06.03.15	1,007.00 10,010.00
10	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार खा. सं.-26371450000106	30.09.13 31.03.14	39,825.00 26,899.00	30.09.14 31.03.15	78,273.00 1,33,026.00
11	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार खा. सं.-262776200000023	—	अप्रस्तुत	—	अप्रस्तुत
12	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०.50100024580691	— 31.03.14	— 58,362.00	30.09.14 31.03.15	78,864.00 1,67,276.00
13	सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार खाता सं०-3322852370	—	—	31.05.14 30.11.14	49,315.00 36,173.00
14	सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार खाता संख्या-3322852370	—	—	31.05.14 30.11.14	29,875.00 29,875.00
15	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०-1748000100207479	—	—	— 07.09.14	— 65,391.00
16	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार खा० सं०-50100056998190	—	—	30.09.14 31.03.15	8,387.00 39,018.00


अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत-सिसवा बाजार
 महाराजगंज



17	सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार खाता सं०-3412323808	-	-	-	-
18	पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार खाता सं०-1748000100212949	-	अप्रस्तुत	-	अप्रस्तुत
19	एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार खाता सं०-5010009050247	-	-	31.03.15	22,055.00
योग-			8,59,807.00		15,03,573.00

आलोच्य अवधि में अर्जित कुल ब्याज $-8,59,807+15,03,573=23,63,380.00$

(ख) लेबर शेष के रूप में रु० 2,13,346.00 (लगभग) के राजस्व की क्षति :-

सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2013-14 में नगर पंचायत द्वारा रोकड़वही/चेक-पंजी के वाह्य आंकलन के आधार पर लगभग रु० 2,13,34,622.00 के निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतानों पर लेबर शेष की कटौती नहीं की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम अनुभव-2 के अधिसूचना संख्या-1412/36-2-2009-251 (एस०एम०)/95 लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2009 के अनुसार शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिकरणों, निगमों, सहकारी समितियों, निजी संस्थाओं, कम्पनियों, फर्मों या निर्माण अभिकरणों आदि द्वारा निर्मित एवं निर्माधीन समस्त भवनों एवं सन्निर्माण कार्यों पर भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 (अधिनियम संख्या-28 सन् 1996) के अधीन धारा 3 की उप धारा(1) के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस-61011/9/95-आर०डब्ल्यू०, दिनांक 12.10.1996 द्वारा यथाप्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्धारित कर एवं वसूली कर उपकर संग्राहक के निर्देशानुसार जमा कराया जाना प्राविधानित है। परन्तु सम्परीक्षा जांच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भिन्न-भिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उक्त भुगतानों पर कोई उपकर निर्धारण एवं वसूली नहीं की गयी थी, जिससे रु० 2,13,346.00 (लगभग) की शासकीय राजस्व की क्षति की स्थिति परिलक्षित हो रही थी। परिलक्षित शासकीय राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाय तथा विपरीत परिस्थिति में हुयी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(ग) पोखरी के ठेका/निलामी का अनुबन्ध नहीं कराये जाने से स्टैम्प-पत्र के रूप में रु० 6,020.00

की शासकीय राजस्व की क्षति :-

नगर पंचायत की अभिलेखों की सम्परीक्षा के कम में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में नगर पंचायत के द्वारा एक पोखरी की निलामी कर श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजधारी को रु० 1,50,000.00 में पट्टे का आवंटन किया गया था। परन्तु इसे पट्टा/ ठेका का कोई अनुबन्ध नहीं किये जाने से नियमानुसार निर्धारित दर पर स्टैम्प शुल्क के रूप में रु० 6,020.00 की शासकीय राजस्व की क्षति हुयी थी। अतः निर्धारित मूल्य रु० 6,020.00 के स्टैम्प-पत्र पर अनुबन्ध कराया जाना अथवा विपरीत परिस्थितियों में नियमानुसार इसकी प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

(घ) लाइसेंसिंग शुल्क का आरोपण न किये जाने से नगर पंचायत को आर्थिक क्षति :-

सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि पार्किंग शुल्क, स्लाटर हाउस, प्रेक्षागृह के रूप में तीन लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त कोई लाइसेंस शुल्क नगर पंचायत द्वारा नहीं वसूली जा रही है, जबकि शासन द्वारा 43 भिन्न-भिन्न मदों पर लाइसेंसिंग शुल्क लिये जाने हेतु नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-1847/नो-9-97-23ज/97 दिनांक 09.06.97 द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। इस प्रकार भिन्न-भिन्न मदों पर लाइसेंसिंग शुल्क निर्धारित दरों पर न लगाये जाने एवं पूर्व में रिकशा,


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत-सिसवा बाजार
 महाराजगंज



साइकिल आदि के उपर की जा रही लाइसेंसिंग शुल्क की वसूली भी वर्तमान में नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उच्च प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(5) आलोच्य अवधि में हस्तगत या पूर्ण किये गये विकास, शिक्षा एवं अन्य विशेष परियोजनाओं

की प्रगती और उपयोगिता/ लाभकारिता :- दृष्टिगत नहीं।

(6) बजट और वित्तीय प्रबन्धन :-

(क) बजट पत्रावली एवं वित्तीय प्रबन्धन पत्रावली अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में नगर पंचायत की बजट पत्रावली एवं वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य योजना आदि से सम्बन्धित पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए इसकी जांच/ समीक्षा किया जाना सम्भव नहीं हो सका। आवश्यक जांच हेतु इसे अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना निजी बैंक में खाता खोले जाने से सम्बन्धित अनियमितता:-

शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि किसी मामले में बैंक खाता खोले जाने की आवश्यकता पायी जाय तो विभाग द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बचत खाता खोला जाना ही प्रस्तावित किया जाय एवं वित्त विभाग की स्वीकृति के उपरान्त ही बैंक खाता खोले जाने की कार्यवाही की जाय। सम्परीक्षा में पाया गया कि पालिका द्वारा आलोच्य अवधि में बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के एचडीएफसी बैंक, शाखा-सिसवा बाजार में पांच (5) खाता (खाता संख्या-26371450000106, 263776200000023, 50100024580691, 50100056998190 एवं 5010009050247) खोलकर व विभिन्न अनुदान की धनराशि उसमें जमा कर संव्यवहार में लाया जा रहा है। अतः इस स्थिति में वित्त विभाग के स्वीकृति के बगैर उक्त निजी क्षेत्र के बैंक में खोले गये खाते को बन्द किया जाना एवं आवश्यकता होने पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता खोला जाना नियमानुसार उचित होगा।

(7)(क) प्रयोज्य/निष्प्रयोज्य सामग्रियों का स्टॉक लेखा और उनका प्रबन्धन एवं उपयोगिता:-

सम्परीक्षा में प्रस्तुत प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य सामग्रियों की भण्डार पंजी मदवार/सामग्रीवार न बनाकर वर्षवार अनुरक्षित की गयी थी, जिन पर आलोच्य अवधि में कय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टि की गयी थी। सम्परीक्षा के मत में इन भण्डार पंजीयों को वर्षवार न बनाकर मदवार यथा विधुत उपकरण एवं सामग्री, सफाई व्यवस्था के उपकरण एवं सामग्री, निर्माण कार्य के उपकरण एवं सामग्री जलकल के उपकरण एवं सामग्री, कार्यालयी उपकरण एवं सामग्री आदि से सम्बन्धित भण्डार पंजी तथा डेड स्टॉक (निष्प्रयोज्य उपकरण एवं सामग्री) के लेख से सम्बन्धित भण्डार पंजी अलग-अलग अनुरक्षित कर इन पर प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित है तथा इनका वार्षिक सत्यापन भी सक्षम अधिकारी से करवाया जाना अपेक्षित है।

(ख) चल एवं अचल सम्पत्ति का स्टॉक लेखा :- सम्परीक्षा में नगर पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्ति का स्टॉक लेखा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे नगर पंचायत की कुल सम्पत्तियों की वास्तविक स्थिति तथा इसके प्रबन्धन एवं उपयोगिता/ प्रयोग के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट नहीं हो सकी। आवश्यक जांच हेतु इसे अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(8) मूल्यवान् उपकरणों की उपयोगिता एवं व्यय की पुष्टि हेतु लांग बुक वांछित :-

नगर पंचायत में कय किये गये एवं अनुरक्षित विभिन्न प्रकार के ईंधन/ शक्ति चालित वाहन, पम्प जेनरेटर, पानी की टंकी आदि से सम्बन्धित लागबुक एवं प्रयोग पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इनकी उपयोगिता एवं इन पर किए गये अनुरक्षण व्यय यथा ईंधन शक्ति एवं मरम्मत आदि पर किए


अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



एक व्यय का सत्यापन सम्भव नहीं हो सका। अतः आवश्यक जांच हेतु इसे निर्धारित प्रारूप में आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

(9) अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताएं, जिन पर प्रशासन के विशेष ध्यान की अपेक्षा हो :-
दृष्टिगत नहीं।

सम्परीक्षा आख्या

भाग- "ख"

1- अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण :- गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार परिशिष्ट-"क" पर संलग्न सूची के अनुसार संस्था में वर्ष 1951-52 से 2012-13 तक कुल 5 आपत्तियां अनिस्तारित पड़ी हुयी थीं, जिनके सम्बन्ध में कोई अनुपालन कार्यवाही सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इन अनिस्तारित आपत्तियों के निराकरणार्थ संस्था के अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2- वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार संस्था की आलोच्य अवधि को वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट-"ख" के अनुसार थी।

टिप्पणी :- नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा/वर्गीकृत सार पंजी तैयार नहीं की गयी थी। अतः परिशिष्ट में दिये गये आंकड़े रोकड़वही के वाह्य संकलन पर आधारित हैं, जो अनन्तिम हैं। वार्षिक लेखे तैयार कर परिशिष्ट में दिये गये आंकड़ों की पुष्टि करायी जाय।

(2) रोकड़वही में दिनांक 01.04.2013 को अंकित प्रारम्भिक शेष एवं गत सम्परीक्षा में प्रदर्शित दिनांक 31.03.2013 को अंतिम अवशेष में रू० 102.26 के अन्तर को स्पष्ट किया जाय। परिशिष्ट पर दिनांक 01.04.2013 को प्रारम्भिक शेष गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार प्रदर्शित है।

(3) परिशिष्ट पर प्रदर्शित इतिशेष के विवरण के कम संख्या- 2, 3, 9, 12, 16 एवं 19 पर अंकित बैंक खातों/कोषागार से सम्बन्धित पासबुक/स्टेटमेन्ट सम्परीक्षा में नहीं/अपूर्ण प्रस्तुत कियेगये। दिये गये सम्बन्धित आंकड़े रोकड़वही में अंकित विवरणानुसार हैं। इन्हें अद्यतन प्रविष्टियां पूर्ण करवाकर आवश्यक जांच हेतु अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तथा परिशिष्ट के आंकड़ों की पुष्टि करायी जाय।

(4) यूनियन बैंक, सिसवा बाजार के खाता संख्या- 534602010000218 से आलोच्य अवधि में दिनांक 3-8-13, 4-2-14, 1-8-14 एवं 1-2-15 को प्राप्त कमशः रू० 149.00 रू० 155.00 रू० 156.00 एवं रू० 161.00 की आय रोकड़वही में अंकित नहीं है तथा दिनांक 31.3.15 को एच०डी०एफ०सी० बैंक, सिसवा बाजार के खाता संख्या- 50100056998190 से प्राप्त ब्याज रू० 39,081.00 के स्थान पर रू० 39,018 अंकित किया गया है। इनकी प्रविष्ट कर संशोधित लेखा जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिशिष्ट पर प्रस्तुत आय- व्यय रोकड़वही के अनुसार है। संशोधित लेखे को आवश्यक जांच हेतु आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(5) परिशिष्ट पर दर्शाये गये इतिशेष/ रोकड़वही शेष एवं बैंक/ कोषागार में प्रदर्शित शेष में दिनांक 31-03-2014 एवं 31-03-15 को वर्षान्त में अन्तर का कारण बैंक समाधान विवरण तैयार कर पुनः प्रस्तुत किया जाय।

(6) परिशिष्ट पर दिये गये इतिशेष के विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा अनावश्यक रूप से अनेक (19) बैंक खाते अनुरक्षित और संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से कई बैंक खातों में आलोच्य अवधि में कोई लेन-देन भी नहीं किया गया है। अतः संस्थाहीन में समुचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु इन

अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



निष्प्रयोज्य बैंक खातों को बन्द कर वर्तमान में प्रयोग में लाये जा रहे राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में इनकी धनराशि हस्तान्तरित किया जाना सम्परीक्षा के मत में उचित होगा।

(7) आय- व्यय का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ध" पर एल0ए0ओ0-104 में भी दिया गया है।

3- नगद परिसम्पत्तियां एवं दायित्व :- नगर पंचायत द्वारा 31 मार्च, 2014 एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय-वर्ष हेतु नगद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था। इसे तैयार कर आवश्यक जांच हेतु अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

4- राजकीय अनुदान :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार कोषवही में वास्तविक प्राप्ति के अनुसार निम्नवत विवरणानुसार राजकीय अनुदान प्राप्त हुए थे। अनुदानों से सम्बन्धित संहत विवरण आख्या के परिशिष्ट-"ड0" पर स्था0नि0ले0-105 में भी दिया गया है।

(क) राजकीय आवर्तक अनुदान :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत को आलोच्य अवधि में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक,स्थानीय निकाय उ0प्र0,लखनऊ के माध्यम से एवं विपणन कार्यालय से दो प्रतिशत पंजीकरण शुल्क, उनके सम्मुखांकित तिथियों को प्राप्त था, जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक
1.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	03.07.2013
2.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	06.07.2013
3.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	17.07.2013
4.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	08.08.2013
5.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	12.09.2013
6.	8/4470/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 24 अप्रैल, 2013	21,03,924.00	09.10.2013
7.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	01.11.2013
8.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	16.12.2013
9.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	26.01.2014
10.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	01.03.2014
11.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	07.03.2014
12.	8/5122/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013	25,72,488.00	28.03.2014
13.	8/4521(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013-14 दिनांक 07 मई, 2013	66,40,899.00	25.10.2013
14.	8/3023भा0/मानक/तृ0रा0वि0आ0/1/. / 2013-14 दिनांक 04 मार्च, 2014	2,98,740.00	28.03.2014
योग-		3,49,98,117.00	

उपर्युक्त आवर्तक अनुदानों के अतिरिक्त नगर पंचायत को वर्ष 2013-14 में 2 प्रतिशत निवन्धन शुल्क के रूप में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ के आदेशों के अन्तर्गत रोकड़वही में प्रविष्टि के अनुसार दिनांक 13-06-2013 को रू0 3,37,511.00 एवं दिनांक 15.03.2014 को रू0 5,08,907.00 कुल रू0 8,46,418.00 प्राप्त हुआ था।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



वर्ष 2014-15

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक
1.	8/5579/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2013-14 दिनांक 05 मई, 2013	55,68,652.00	09.06.2014
2.	8/79/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 19.06.2014	28,17,196.00	09.07.2014
3.	8/79/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 19.06.2014	28,17,196.00	05.08.2014
4.	8/5844/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	56,94,053.00	15.09.2014
5.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	15.09.2014
6.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	07.10.2014
7.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	11.11.2014
8.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	17.12.2014
9.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	19.01.2015
10.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	18.02.2015
11.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,762.00	31.03.2015
12.	8/5843/152(6)/तृ०रा०वि०आ०/2014-15 दिनांक 14 अगस्त, 2014	27,90,768.00	31.03.2015
13.	8/3882शा/29/2प्रतिशत/2012-13/2014-15 दि० 20 मार्च, 2015	7,59,297.00	31.03.2015
14.	8/3023मा०/मानक/तृ०रा०वि०आ०/1/./ 2013-14 दिनांक 04 मार्च, 2014	2,98,740.00	28.03.2014
15.	8/3353/37/रिवाजिंग फण्ड वापसी/2014-15 दिनांक 02 मार्च, 2015	8,89,283.00	31.03.2015
योग-		4,12,25,671.00	

उपर्युक्त आवर्तक अनुदानों के अतिरिक्त नगर पंचायत को वर्ष 2014-15 में 2 प्रतिशत नियन्धन शुल्क के रूप में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- 8/3358/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014-15 दिनांक 03 मार्च, 2015 के द्वारा रोकड़वही में दिनांक 31-03-2015 को रू० 3,62,907.00 एवं पत्र संख्या-8/7934/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014-15 दिनांक 27 मार्च, 2015 के द्वारा रोकड़वही में दिनांक 31.03.2015 को रू० 38,608.00 कुल रू० 4,01,515.00 प्राप्त हुआ था।

टिप्पणी:- इस तथ्य की लिखित पुष्टि की जाय कि उपर्युक्त प्राप्त अंकित राजकीय अनुदानों के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक अनुदान आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) सम्परीक्षा में उपर्युक्त अनुदानों से सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे प्राप्त अनुदानों के उपभोग में संदर्भित निर्देशों का पालन हुआ है कि नहीं, सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आदेश/पत्र संख्या अनुदान पंजी के अनुसार दिये गये हैं। आवश्यक जांच हेतु इसे अब आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

(ख) राजकीय अनावर्तक अनुदान :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार रोकड़वही में वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार नगर पंचायत को विभिन्न मदों में/श्रोतों से निम्नानुसार राजकीय अनावर्तक अनुदान आलोच्य अवधि में प्राप्त हुआ था :-

(1) **तेरहवां वित्त आयोग :-** सम्परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़वही एवं अनुदान पंजी के अनुसार नगर पंचायत को तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ


अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत-सिविल बाजार
 महाराजगंज



के निम्नांकित आदेशों/पत्रों के माध्यम से उनके सम्मुखांकित धनराशियां आलोच्य अवधि में अनुदान के रूप में प्राप्त हुयी थी :-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक
1.	8/2334/13वां वित्त आयोग(सामान्य बुनियादी अनुदान)वित्त वर्ष 2012-13 दिनांक 03.04.2013	6,41,635.00	05.04.2013
2.	8/2335/13वां वित्त आयोग(सामान्य निष्पादन अनुदान)वित्त वर्ष 2012-13 दिनांक 03.04.2013	8,89,928.00	05.04.2013
3.	8/4548/92(1)/13वां वित्त आयोग(सामान्य बुनियादी अनुदान)/वर्ष 2013-14 दिनांक 17.05.2013	13,61,095.00	18.05.2013
4.	8/4569/92(1)13वां वित्त आयोग/2012-13/2013-14 दिनांक 27 मई, 2013	8,89,928.00	28.05.2013
5.	8/4855/92(1)13वां वित्त आयोग(सामान्य निष्पादन अनुदान)वित्तीय वर्ष 2013-14 दिनांक 22.07.2013	15,16,600.00	26.07.2013
6.	8/5400/92(1)13वां वित्त आयोग/2012-14/2013-14 दिनांक 10 फरवरी, 2014	10,35,091.00	.01.2014
7.	8/5458/92(1)13वां वित्त आयोग(सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किस्त) वित्तीय वर्ष 2013-14 दिनांक 28 फरवरी, 2014	14,52,349.00	08.03.2014
8.	8/5542/92(1)13वां वित्त आयोग/2012-13/2013-14 लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2014	9,92,264.00	15.03.2014
योग-		87,78,896.00	

वर्ष 2014-15

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक
1.	8/6017/92(1)/13वां वित्त आयोग(सामान्य बुनियादी अनुदान प्रथम किस्त) वित्तीय वर्ष 2014-15 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014	14,84,247.00	30.10.2014
योग-		14,84,247.00	

(11) **आदर्श नगर योजना :-** सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आदर्श नगर योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को सचिव, नगर विकास अनुभाग-08, उ०प्र०, शासन, लखनऊ के निम्नांकित पत्रों/आदेशों के अन्तर्गत उनके सम्मुखांकित धनराशियां रोकड़वही एवं अनुदान पंजी के अनुसार प्राप्त हुयी थी :-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि दिनांक
1.	835/आ०न०यो०/9-8-14-2 आ०न०यो०(बजट)/2013 दिनांक 17 जुलाई, 2013	37,50,000.00	12.03.2014
योग-		37,50,000.00	

अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत-सिखवा बाजार
 महाराजगंज



वर्ष 2014-15

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि का दिनांक
1.	835/आ0न0यो0/9-8-14-2 आ0न0यो0(बजट)/2013 दिनांक 17 जुलाई, 2013	37,50,000.00	05.09.2014
2.	298-2343-आ0न0यो0/9-8-14-29 आ0न0यो0(बजट) 2014 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014	22,50,000.00	15.11.2014
3.	157/2015/108 आ0न0यो0/9-8-15-04 आ0न0यो0(बजट)/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2015	24,19,000.00	18.02.2015
4.	144/2015/120 आ0न0यो0/9-8-15-39 आ0न0यो0(बजट)/2014 दिनांक 21 जनवरी, 2015	22,50,000.00	21.02.2015
योग-		1,06,69,000.00	

(III) नगरीय जल निकासी योजना :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगरीय जल निकासी योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को सचिव, नगर विकास अनुभाग-05, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निम्नांकित पत्रों/आदेशों के अन्तर्गत उनके सम्मुखान्कित धनराशियां रोकड़वही एवं अनुदान पंजी के अनुसार प्राप्त हुयी थी :-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि का दिनांक
1.	325/नौ-5-13-140 बजट/2012 टी0सी0-1 वित्तीय वर्ष 2012-13 दिनांक 22 फरवरी, 2013	50,00,000.00	11.05.2014
2.	4788/नौ-5-14-73 बजट/2014 दिनांक 08 अगस्त, 2014	27,39,000.00	07.03.2014
योग-		77,39,000.00	

वर्ष 2014-15

क्रमांक	शासनादेश/पत्र संख्या	धनराशि	रोकड़वही में प्रविष्टि का दिनांक
1.	4788/नौ-5-14-73 बजट/2014 दिनांक 08 अगस्त, 2014	27,39,000.00	30.09.2014
2.	124/2015/1436(3)/नौ-5-15-385 बजट/2014 दिनांक 31, मार्च, 2015	38,50,000.00	31.03.2015
योग-		65,89,000.00	

(IV) नगरीय सड़क सुधार योजना :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को सचिव, नगर विकास अनुभाग-05, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निम्नांकित पत्रों/आदेशों के अन्तर्गत उनके सम्मुखान्कित धनराशियां रोकड़वही एवं अनुदान पंजी के अनुसार प्राप्त हुयी थी :-

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सिता बाजार
महाराजगंज



(17) अंत्येष्टि योजना :- उक्त के अतिरिक्त आलोच्य अवधि के वर्ष 2014-15 में नगर पंचायत को प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र/आदेश संख्या- 275/नौ-5-197 बजट/2014 दिनांक 02 फरवरी, 2015 के द्वारा अंत्येष्टि योजनान्तर्गत रोकड़वही में दिनांक 21-02-2015 को रू0 80,50,000.00 प्राप्त हुआ था।

टिप्पणी :- इस तथ्य की लिखित पुष्टि की जाय कि प्राप्त अंकित उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त अन्य कोई अनावर्तक अनुदान आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) सम्परीक्षा में उपर्युक्त अनुदानों से सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों की पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। आदेश/पत्र संख्या अनुदान पंजी के अनुसार दिये गये हैं। आवश्यक जांच हेतु इसे अब आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

(ग) अनुदानों से सम्बन्धित प्रयुक्त-अप्रयुक्त का विवरण :- सम्परीक्षा में उपलब्ध अनुदान पंजी, रोकड़वही एवं अन्य प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आलोच्य अवधि में नगर पंचायत में विभिन्न राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित प्रारम्भिक शेष, वर्षान्तर्गत प्राप्ति/व्यय एवं वर्षान्त में अवशेष (प्रयुक्त/अप्रयुक्त) का विवरण निम्नानुसार था :-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	अनुदान का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	वर्ष में व्यय (प्रयुक्त)	वर्षान्त में शेष(अप्रयुक्त)
1.	राज्य वित्त आयोग	19,67,213.00	3,49,98,117.00	3,69,65,330.00	2,64,44,911.00	1,05,20,419.00
2.	2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	4,44,999.00	8,46,418.00	12,91,417.00	—	12,91,417.00
3.	तेरहवां वित्त आयोग	11,96,598.00	87,78,596.00	99,75,494.00	48,54,904.00	51,20,589.00
4.	आदर्श नगर योजना	4,13,545.00	37,50,000.00	41,63,545.00	1,36,594.00	40,26,951.00
5.	जलनिकासी योजना	—	77,39,000.00	77,39,000.00	39,09,851.00	38,29,149.00
6.	सड़क सुधार योजना	—	1,12,03,000	1,12,03,000	61,22,566	50,80,434.00
7.	बी.0आर0जी0एफ0	—	88,60,000	88,60,000	76,67,021.00	11,92,979.00
8.	संगठित योजना(केन्द्र)	12,75,956.00	—	12,75,956.00	61,026.00	12,14,930.00

वर्ष 2014-15

क्रमांक	अनुदान का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्ति	योग	वर्ष में व्यय (प्रयुक्त)	वर्षान्त में शेष(अप्रयुक्त)
1.	राज्य वित्त आयोग	1,05,20,419.00	4,12,25,671.00	5,17,46,090.00	2,63,56,753.00	2,53,89,337.00
2.	2प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	12,91,417.00	4,01,515.00	16,92,932.00	12,91,417.00	4,01,515.00
3.	तेरहवां वित्त आयोग	51,20,589.00	14,84,247.00	66,04,836.00	18,42,708.00	47,62,128.00
4.	आदर्श नगर योजना	40,26,951.00	1,06,69,000.	1,46,95,951	94,91,271.00	52,04,680.00
5.	जलनिकासी योजना	38,29,149.00	65,89,000.00	1,04,18,149	—	1,04,18,149
6.	सड़क सुधार योजना	50,80,434.00	1,12,02,000	1,62,82,434	1,14,96,751	47,85,683.00
7.	बी.0आर0जी0एफ0	11,92,979.00	35,60,000.00	47,52,979.00	13,76,351.00	33,76,628.00
8.	संगठित योजना(केन्द्र)	12,14,930.00	—	12,14,930.00	—	12,14,930.00
9.	अंत्येष्टि योजना	—	80,50,000.00	80,50,000.00	—	80,50,000.00

अधिशाली अधिकारी

नगर पंचायत-सिवर बाजार
महाराजगंज



5-राजकीय ऋण :- सम्परीक्षा में बताया गया कि आलोच्य अवधि में नगर पंचायत को न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त था एवं न ही पूर्व वर्षों का कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष था। इसकी लिखित पुष्टि की जाय।

6-विनियोजन :- सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में न तो कोई धनराशि विनियोजित की गयी थी एवं न ही पूर्व वर्षों में ही कोई धनराशि विनियोजित थी। इसकी लिखित पुष्टि की जाय।

7-नजूल और नौका घाट :- सम्परीक्षा में बताया गया कि नगर पंचायत के अधीन कोई भी नजूल सम्पत्ति एवं नौका घाट नहीं था। इसकी लिखित पुष्टि की जाय।

8-अग्रिम :- सम्परीक्षा में नगर पंचायत द्वारा प्रदत्त अग्रिमों से सम्बन्धित अग्रिम पंजी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे आलोच्य अवधि एवं गत वर्षों के असमायोजित धनराशियों का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं रहा। अग्रिम पंजी आवश्यक जांच हेतु अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

9-अन्य अनियमितताएं एवं सूचनाएं :-

(1) सम्परीक्षा शुल्क :- नगर पंचायत की आलोच्य अवधि की उप- सम्परीक्षा हेतु शासनादेशानुसार वर्ष 2013-14 हेतु रु0 1,07,000.00 एवं वर्ष 2014-15 हेतु रु0 1,07,000.00 कुल रु0 2,14,000.00 का सम्परीक्षा शुल्क आरोपित कर जाप संख्या-जे-85/स0शु0/2015-16 दिनांक 12-12-2015 द्वारा निर्गत किया गया। इसे पूर्व वर्षों के बकाया सम्परीक्षा शुल्क, यदि कोई हो, सहित राजकीय कोषागार के निर्धारित शीर्षक के अन्तर्गत शीघ्र जमा किया जाय तथा चालान की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(2) करों के आरोपण, समाहरण एवं बकाये की स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आलोच्य अवधि में करों के आरोपण, समाहरण एवं बकाये की स्थिति निम्नानुसार थी :-

वर्ष 2013-14

क्रमांक	मद	1 अप्रैल को प्रा० बकाया	वर्ष की मांग	कुल योग	वर्ष में वसूली	31 मार्च को अं० बकाया
1.	गृहकर	25,09,825.00	—	25,09,825.00	4,30,149.00	20,79,676.00
2.	टैक्सी स्टैण्ड	1,61,726.00	2,42,605.00	4,04,331.00	2,42,605.00	1,61,726.00
3.	प्राइवेट मोटर आपरेटर	11,011.00	—	11,011.00	1,000.00	10,011.00
4.	गुमटी	7,470.00	—	7,470.00	—	7,470.00
5.	टायर गाड़ी	51,189.00	—	51,189.00	—	51,189.00
6.	रिक्शा	14,706.00	—	14,706.00	—	14,706.00
7.	साइकिल	7,950.00	—	7,950.00	—	7,950.00
8.	स्लाटर हाउस	1,300.00	23,700.00	25,000.00	23,700.00	1,300.00
9.	प्रेक्षा गृह	4,60,780.00	6,000.00	4,66,780.00	14,500.00	4,52,280.00
10.	जलमूल्य	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत
	योग-	32,25,957.00	2,72,305.00	34,98,262.00	7,11,954.00	27,86,308.00

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सितवर बाजार
महाराजगंज



वर्ष 2014-15

क्रमांक	मद	1 अप्रैल को प्रा० बकाया	वर्ष की मांग	कुल योग	वर्ष में वसूली	31 मार्च को अं० बकाया
1.	गृहकर	20,79,676.00	—	20,79,676.00	4,98,146.00	15,81,530.00
2.	टैक्सी स्टैंड	1,61,726.00	4,04,775.00	5,66,501.00	4,04,775.00	1,61,726.00
3.	प्राइवेट मोटर आपरेटर	10,011.00	—	10,011.00	—	10,011.00
4.	गुमटी	7,470.00	—	7,470.00	—	10,011.00
5.	टायर गाड़ी	51,189.00	—	51,189.00	—	51,189.00
6.	रिक्शा	14,706.00	—	14,706.00	—	14,706.00
7.	साइकिल	7,950.00	—	7,950.00	—	7,950.00
8.	स्लाटर हाउस	1,300.00	2100.00	3,400.00	2100.00	1,300.00
9.	प्रेक्षा गृह	4,52,280.00	6,000.00	4,58,280.00	2,000.00	4,56,280.00
10.	जलमूल्य	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत
11.	पोखरी	—	1,50,500.00	1,50,500.00	37,625.00	1,12,875.00
योग—		27,86,308.00	5,63,375.00	22,49,683.00	9,44,646.00	24,05,037.00

टिप्पणी :- (1) गृहकर एवं प्रेक्षागृह की वसूली में मांग-समाहरण पंजी एवं रोकड़बही में व्याप्त अन्तर को अभिलेखीय साक्ष्य के साथ स्पष्ट किया जाय ।

(2) आलोच्य अवधि में टैक्सी स्टैंड कर की विभागीय वसूली की गयी थी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में गत वर्ष एवं आगामी वर्ष की तुलना में काफी कम वसूली दृष्टिगत है । इसका कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में आय की वृद्धि हेतु इसकी प्रत्येक वर्ष निलामी सुनिश्चित किया जाय ।

(3) स्लाटर हाउस (काजी हाउस) के मद में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 काफी कम वसूली दृष्टिगत है । इसका कारण स्पष्ट किया जाय ।

(4) प्रेक्षा गृह के सम्बन्ध में बताया गया कि गोल्डेन पिक्चर पैलेस, जिसका पूर्व का बकाया रू० 4,02,980.00 था, के उपर बाद न्यायालय में लम्बित है । इसकी पुष्टि हेतु बाद से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

(5) गृहकर के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है । इसकी लिखित पुष्टि की जाय तथा संस्था हीत में कर निर्धारण प्रक्रिया यथाशीघ्र पुरी की जाय ।

(6) जलमूल्य से सम्बन्धित मांग एवं समाहरण पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बताया गया कि वर्तमान समय तक इसे पूर्ण नहीं किया गया है । यह स्थिति उचित नहीं है । इसे पूर्ण कर आवश्यक जांच हेतु अब आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय ।

(3) **निर्माण कार्य पत्रावली में पायी गयी अनियमितता :-**

सम्परीक्षा के आलोच्य माहों की निर्माण कार्य हेतु भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्नवत न्यूनतम पायी गयी :-

(क) निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि किसी भी पत्रावली में प्रस्तावित कार्य की आगणित लागत प्रपत्र के साथ प्रस्तावित कार्य का स्थलीय रेखा-चित्र (साइट प्लान) तथा निर्माण के पूर्व के फोटोग्राफ (प्री कन्स्ट्रक्शन पिक्चर) संलग्न नहीं हैं । इस स्थिति में निर्मित कार्य के संलग्न चित्र(फोटो) के साथ इसका मिलान/ तुलना किया जाना सम्भव नहीं हो सका । नियमानुसार कार्य प्रस्ताव

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



के साथ निर्माण कार्य का रेख-चित्र (साइट प्लान) तथा निर्माण के पूर्व के फोटोग्राफ (पिक्चर) पत्रावलियों में संलग्न नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाय ।

(ख) निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार से अनुबन्ध पत्र हेतु पालिका द्वारा जमानत धनराशि पर आगणित स्टैम्प शुल्क के स्थान पर ₹ 100.00 के स्टैम्प पत्र पर अनुबन्ध कराया गया है, जिससे भारी शासकीय राजस्व की क्षति परिलक्षित हो रहा है। इस सम्बन्ध में स्थिति सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया । इससे सम्बन्धित समस्त आदेश/ निर्देश एवं पत्र के साथ स्थिति आगामी अवसर पर स्पष्ट किया जाय ।

(4) भविष्य निर्वाह निधि लेखा :- संस्था में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गयी भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा- सिसवा बाजार के बचत खातों में अलग-अलग रखी गयी थी। इस हेतु व्यक्तिगत/सामूहिक लेजर कार्यालय में अनुरक्षित नहीं किया गया था, जो उचित नहीं था। इसे अनुरक्षित कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

(5) अधिष्ठान :- सम्परीक्षा में संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावलियां, अनुबन्ध-पत्र, दैनिक वेतन कर्मियों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली एवं सृजित पदों से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे वेतनादि पर हुए व्यय का सम्यक जांच सम्भव नहीं हो सका । आवश्यक जांच हेतु इन अभिलेखों को अब आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

सम्परीक्षा में प्रस्तुत नियमित कर्मचारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में किसी अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया :-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1-	श्री इन्द कुमार सिंह	नायब मुहर्रिर
2-	.. दिलीप सिंह	पम्प अटेन्डेन्ट
3-	.. जय नारायण प्रसाद	चपरासी
4-	.. लाल मोहन	घौकीदार
5-	.. अरूण कुमार सिंह	सफाईकर्मी
6-	.. स्वामी नाथ	सफाईकर्मी
7-	.. भावर प्रसाद	सफाईकर्मी
8-	श्रीमती गीता देवी	सफाईकर्मी
9-	श्रीमती इसरावती देवी	---
10-	श्री सरल प्रसाद	---
11-	.. अर्जुन प्रसाद	---
12-	.. श्यामा प्रसाद	---
13-	.. रामू प्रसाद	---
14-	.. कपिलदेव भारती	लिपिक

8-निष्कर्ष :- आख्या में उल्लिखित उपर्युक्त अभ्युक्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि लेखे की स्थिति में प्रयाप्त सुधार की आवश्यकता है। सम्परीक्षा में निर्गत आपत्ति-पत्र उत्तर सहित वरिष्ठ लेखा परीक्षक को वापस नहीं किया गया । इसे अब सीधे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में वापस किया जाय ।


अधिशाली अधिकारी
 मुख्यालय-सिसवा बाजार
 महाराजगंज



स्वच्छ आपत्ति- पत्र में अब कोई पद शेष नहीं है ।

जय प्रकाश नारायण सिंह, व0ले0प0

दिनांक 16-02-2016

अन्सारी / /

(हरिमंगल सरोज)

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

महाराजगंज

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सिवनी जिला
महाराजगंज



परिशिष्ट- "क"

संस्था का नाम :- नगर पंचायत सिता बाजार- महाराजगंज ।

अवधि :- वर्ष 2013-14 व 2014-15

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1951-52	6 (बी)	-	01
1952-53	7 (बी)	-	01
1957-58	11 व 12	-	02
1958-59	11 (ए)	-	01
1959-60	18 (ए)(बी)	-	02
1960-61	4 (3), 9	-	02
1961-62	15 (1) (2)	-	02
1962-63	9, 10, 13, 15	-	04
1964-65 से 66-67	अनुपलब्ध	-	अज्ञात
1967-68	12	-	01
1968-69	9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	1से3तक	13
1969-70	3टि0 (4), 5, 6टि0 (1)(2), 7, 8, 9, 10 व 11	1से9तक	18
1971-72	-	02	01
1972-73	8, 12(क)(ख), 13(क)(ख)(ग)	1से3तक	11
1973-74 से 74-75	16	4,7,11	04
1975-76	16, 17, 19, 21, 22, 23	9,13,14	09
1977-78 से 81-82	अनुपलब्ध	-	अज्ञात
1982-83	5(1)(2), 12(1)(2), 13,14,15,16,17,18,19	-	11
1983-84	3टि0(4),4,5,6,7,8टि0(2),9,10,11,12,13,14,15(1)(2),16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.	1से15तक	36
1985-86	3टि0(4),4,5,12,13,14(1)(2)(3)(4)(5),15,16,17,18,19,20.	1से23तक	38
1986-87	5,6,13(क)(ख),15,16,17,18,19,20,21,22 व 23	1से 7तक	20
1987-88 से 1990-91	87-88टि0(2),88-89,(ग)(घ)(2)(3)(4),5,6,7टि0(1)(3)(5),8टि0(1)(3)(4) 9टि0,11,12,13(1)(2),14(1)(2)(3),15,16,17,18,19,20,21.	1से11तक	40
1991-92	10,11,12,13,14,15टि0(1)(2),16टि0(1)(2), 17,18	-	11
1992-93	6टि0(2),10,12,13,14टि0(1)(2),16,17,18,19(1)(2)(3)(4)(5)(6),20	-	16
1993-94	अनुपलब्ध	-	अज्ञात
1994-95	3टि0(2),5,6टि0(2),12टि0(3)(4),14(1)(2),15,16,17,18.	-	12
1995-96	3टि0(2)(3),10,11 व 12.	-	05
1996-97से 1997-98	भाग दो(ब) टि0(1)(2),2(क)(1),7(1)(2)टि0(1)(2)(3).	3,4,6	11

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सिता बाजार
महाराजगंज



1998-99से 99-2000	1(क)(ख)(ग), 3टि0(1), 4टि0(1)(2)(4), 5, 9, 12, 13, 14, 15		11
2000-2001	1(क)(ख), 3टि0(1)(2)(3), 3 2(ख), 3(क)(2)टि0, 3(ख)(1)(2)(क)(ख), 3टि0, 4, 9टि0(3)(4), 17(1), 18(ख)(ख)	-	18
2001-2002	1(क)(1)(2)(ख)(ग)(घ), 3टि0(1)(2)(3), 8टि0(1)(2), 9(ग)(घ)(छ) (ज).	-	15
2002-2003	1(ख)(ग)(घ)(ड0)(च)(छ), 3टि0(3)(4)टि0(4), 5, 6(क)टि0(1)(2)(3)(4), 8(क)(ग), 9(क)(घ)(ड0)	-	13
2003-2004	भागदो(अ)का-5(क)(ख)(ग)(घ)(ड0)(च)(छ)(ज), 3टि0(1)(2)(3)(4), 4(क)(1)(2) (3), 5, 6, 7, 8, 9टि0(1)(2), 10(1)(2).	-	23
2004-2005	1(क)(1)(2)(ख)(ग)(घ)(ड0)(च) 3टि0(2)(3)(4)(5), 4टि0(1)(ख)(1)(2)(3), 5, 6 (क)(ख)(1)(2)(3), 7, 8टि0(1)(2)(3), 9(1)(2)(3).	-	27
2005-2006	1(क)(ख)(ग)(घ)(ड0)(च)(छ)(ज), 3टि0(1) से (5), 4टि0 (1)(2)(3), 5, 6, 7, 8टि. (1)(2)(3), 9(क)(ख)	-	24
2006-2007	1(क)(ख)(ग)(घ)(ड0), 3टि0(1)(2)(3), 4टि0(1)(2)(3), 5, 6, 7, 8टि0(1)(2)(3) (4), 9(क)(ख).	-	20
2007-2008	1(क)(ख)(ग)(1)(2)(घ)(ड0)(च), 3टि0(1)(2)(3), 4टि0(2)(3), 5, 6, 7, 8(क)टि0, (ख), 9(क)(ख)(ग)(घ)(ड0)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ).	-	27
2008-2009	भाग "क" का-1, भाग "ख" का-2टि0(1)(2)(3)(4), 3, 4(क)टि0(1)(2), 5, 6, 7, 8, 9, 10(क)(ख)(ग)(घ)(ख) टि0 (1)(2).	-	19
2009-10 से 2010-11	भाग "क" का-3(क)(ख), भाग "ख" का-2टि0(1)(2)(3), 3, 4(क)टि0, 4(ख)टि0(1)(2)(3), 4(2)टि0(1)(1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13टि0(1)(2), 14.	-	23
2011-12 से 12-13	भाग क-3(क), (ख), (ग), (घ). भाग-"ख"-2टि0(1), (2), 3, 4(क)टि0(1)(2), 4(ख)टि0 (1)(1)(1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13टि0(1)(2), 14, 15, 16, 17.	-	26
योग-			518

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



संस्था का नाम :- नगर पंचायत सिसवा बाजार- महाराजगंज ।
 अवधि :- वर्ष 2013-14 व 2014-15

परिशिष्ट- "ख"

वित्तीय-स्थिति

विवरण		2013-14	2014-15
01 अप्रैल को प्रारम्भिक शेष-			
वर्ष में आय-		1,31,44,586.29	3,49,67,300.29
योग-		8,00,13,529.00	8,80,68,827.00
वर्ष में व्यय-		9,31,58,115.29	12,30,36,127.29
31 मार्च को इतिशेष -		5,81,90,815.00	5,51,09,701.01
31 मार्च को रोकड़वही शेष-		3,49,67,300.29	6,79,26,426.28
इतिशेष का विवरण:-		3,49,67,402.55	6,79,26,528.54
	खाता संख्या		
(1) भारतीय स्टेट बैंक, सिसवा बाजार	11479786053	55,42,143.29	1,30,11,065.29
(2) भारतीय स्टेट बैंक, महाराजगंज	1141105456	28,102.90	28,102.90
(3) कोषागार, महाराजगंज पार्ट-1	8448	12,99,933.45	8,516.45
(4) भारतीय स्टेट बैंक, सिसवा बाजार	31092128092	24,76,145.00	8,69,029.64
(5) पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार	1748000100045570	11,09,295.24	11,71,177.84
(6) पंजाब नेशनल बैंक, महाराजगंज	2989000107022242	61,30,077.00	52,89,871.45
(7) पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार	1748000100090376	16,11,659.00	16,43,627.00
(8) यूनियन बैंक, महाराजगंज	218	7,840.00	8,157.00
(9) पूर्वांचल बैंक, कोठीभार, सिसवा बाजार	1565	439.00	439.00
(10) पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार	174800010094315	49,968.00	51,917.00
(11) एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार	26371450000106	39,02,971.00	68,46,172.00
(12) एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार	26377620000023	18,83,345.67	0.00
(13) एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार	50100024580691	81,70,906.00	51,27,685.00
(14) सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार	3322852370	45,00,000.00	63,76,112.00
(15) सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार	33263252247	37,50,000.00	58,542.00
(16) पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार	1748000100207479	25,00,000.00	1,15,41,097.30
(17) एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार	50100056998190	-	27,20,949.00
(18) सेन्दल बैंक, सिसवा बाजार	3412323808	-	35,87,006.67
(19) पंजाब नेशनल बैंक, सिसवा बाजार	174800010021949	-	23,12,438.00
(20) एच.डी.एफ.सी. बैंक, सिसवा बाजार	5010009050247	-	80,71,942.64
योग-		4,29,62,825.55	6,87,23,848.18

अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत-सिसवा बाजार
 महाराजगंज

स्था0 नि0 ले0 - 104

परिशिष्ट-



वर्ष 2013-14 व 2014-15 में
नगर पंचायत, सिसवा बाजार- महाराजगंज में आय और व्यय की तालिका
(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्र.सं.	स्वामीय निकाय का नाम	01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष की आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(च)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च को अंतिम अवशेष	मन्तव्य
			राजकाय अनुदानों और ऋणों से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अना-वर्तक राज-कीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राज-कीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)				
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
1	नगर पंचायत, सिसवा बाजार महाराजगंज।										
	वर्ष 2013-14	1,31,44,586	38,38,098	4,03,30,896	3,58,44,535	—	8,00,13,529	9,31,58,115	5,81,90,815	3,49,67,300	
	2014-15	3,49,67,300	48,87,394	4,15,54,247	4,16,27,186	—	8,80,68,827	12,30,36,127	5,51,09,701	6,79,26,426	

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



स्था0 नि0 ले0 - 105

वर्ष 2013-14 व 2014-15 में

नगर पंचायत, सिसवा बाजार - महाराजगंज द्वारा प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों का विवरण
(अक पूर्ण रुपया में)

क्रमांक	आय के शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4	5	
1	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त :-				
	वर्ष 2013-14	3,49,98,117	3,49,98,117	-	
	2014-15	4,12,25,671	4,12,25,671	-	
2.	2प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से प्राप्त:-				
	2013-14	8,46,418	8,46,418	-	
	2014-15	4,01,515	4,01,515	-	
3.	13वां वित्त आयोग से प्राप्त :-				
	वर्ष 2013-14	87,78,896	-	87,78,896	
	2014-15	14,84,247	-	14,84,247	
4.	आदर्श नगर योजना से प्राप्त :-				
	2013-14	37,50,000	-	37,50,000	
	2014-15	1,06,69,000	-	1,06,69,000	
5.	जल निकासी योजना से प्राप्त:-				
	2013-14	77,39,000	-	77,39,000	
	2014-15	65,89,000	-	65,89,000	
6.	सड़क सुधार योजना से प्राप्त :-				
	2013-14	1,12,03,000	-	1,12,03,000	

अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत-सिसवा बाजार
महाराजगंज



	2014-15	1,12,02,000	—	1,12,02,000	
7.	बी.आर.जी.एफ. योजना से प्राप्त :-				
	2013-14	88,60,000	—	88,60,000	
	2014-15	35,60,000	—	35,60,000	
8.	अंत्येष्टि योजना से प्राप्त :-				
	वर्ष 2014-15	80,50,000	—	80,50,000	


अधिशाली अधिकारी
महाराष्ट्र पंचायत-सिंसदा व. १
महाराजगंज